

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1927 / 2013 / उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अपोलो आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 23 / 6 / 2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाड़ा, (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 158/वेट/12-13/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.7.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2012 को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 9.10.2012 को नेशनल हाईवे-8, रतनपुर पर वाहन संख्या आर.जे.01/जी-0401 को चैक किये जाने पर वाहन में अहमदाबाद से उदयपुर के लिये 'लकड़ी' परिवहनित की जा रही थी। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल्टी संख्या 629 दिनांक 8.10.2012, बिल संख्या 23 दिनांक 8.10.2012 एवं घोषणा प्रपत्र वेट-47 संख्या 6983307 प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा प्रपत्र वेट-47 कालातीत प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसका पार्ट-ए पूर्णतया रिक्त है एवं निर्धारित स्थानों से पंच भी नहीं किया गया है। अतः माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपटित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ नया


 लगातार.....2

घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 6983308 प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त जवाब एवं घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 61,965/- एवं वैट रूपये 28,917/- कुल रूपये 90,882/- का आरोपण आदेश दिनांक 10.10.2012 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.7.2013 से स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचित माल राज्य में कालातीत एवं अपूर्ण घोषणा प्रपत्र वैट-47 के समर्थन से आयात कर परिवहनित किया जाना वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं वैट आरोपित किया जाना पूर्णतया उचित एवं विधिक था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के तहत वांछित सभी दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। सद्भाविक रूप से कालातीत घोषणा पत्र माल के साथ भिजवा दिया गया, जिसमें उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मानसिकता नहीं है। इसके अलावा जवाब के साथ नया वैट-47 भी प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसे सदृश प्रकरण में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा (2013) 36 टैक्स अपडेट 94 वाणिज्यिक कर अधिकारी बांसवाड़ा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड में शास्ति को अविधिक निर्णीत किया है। अग्रिम कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा केवल इस तकनीकी आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व करारोपण का आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के


 लगातार.....3

तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत किये गये, जिनमें घोषणा पत्र कालातीत पाया गया तथा इसका पार्ट-ए पूर्णतया रिक्त पाया गया एवं निर्धारित स्थानों से पंच किया हुआ भी नहीं था।

जहां तक घोषणा-पत्र वैट-47 कालातीत प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध विवादित घोषणा पत्र वैट संख्या 6983307 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त घोषणा पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘सी’, उदयपुर के कार्यालय से दिनांक 6.7.2010 को जारी किया हुआ होने से वैट नियम 21(5) के तहत इसकी वैधता जारी किये जाने की दिनांक से दो वर्ष अर्थात् दिनांक 5.7.2012 तक थी। इसके पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र की वैधता अवधि नहीं बढ़वाये जाने से वक्त जांच उक्त घोषणा प्रपत्र वैट-47 लगभग 3 माह कालातीत हो चुका था, परन्तु वैट नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषणा प्रपत्र वैट-47 की वैधता अवधि जारी करने वाले अधिकारी द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार जारी किये जाने वाले अधिकारी द्वारा उक्तानुसार वैधता अवधि में बढ़ोतरी किये जाने की स्थिति में इस घोषणा प्रपत्र वैट-47 की वैधता अवधि दिनांक 5.7.2013 तक मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में विवादित घोषणा-पत्र को कालातीत मानते हुए शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

उक्त घोषणा-पत्र वैट-47 का पार्ट-‘ए’ पूर्णतया रिक्त पाया गया है, जो कि अपूर्ण घोषणा पत्र की श्रेणी में ही माना जा सकता है। जवाब के साथ पूर्णतया भरा हुआ वैट 47 प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तुत घोषणा-पत्र के रिक्त कॉलम की कमी पूर्ति नहीं मानी जा सकती। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित निर्णय में अवधिपार वैट-47 के कॉलम रिक्त होने का तथ्य विवादित नहीं होने से इस प्रकरण में तथ्यों की असदृश्यता के कारण लागू नहीं किया जा सकता। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र को अपूर्ण मानते हुए माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये


 लगातार.....4

जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में अभिनिर्धारित किया गया है कि वक्त परिवहन घोषणा पत्र के कॉलम रिक्त/अपूर्ण पाये जाने पर शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण इस न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किए जाने में विधिक भूल की गयी है।

प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य का पंजीकृत व्यवहारी होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण के साथ माल की कीमत पर 14 प्रतिशत की दर से वेट आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस सीमा तक सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए, आरोपित वेट राशि रूपये 28,917/- अपास्त किये जाने की सीमा तक अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 61,965/- की पुष्टि की जाती है तथा आरोपित वेट राशि रूपये 28,917/- अपास्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
23/06/14